न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपीडी/टीए/4275/2004/हनुमानगढ

1 मोहरा देवी पत्नी लिछमण (फौत नाम तर्क)
2 रामकुमार पुत्र लिछमण
3 बृजमोहन पुत्र लिछमण
4 जगदीश प्रसाद पुत्र लिछमण
5 रामगोपाल पुत्र लिछमण सभी जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

अपीलार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार

प्रत्यर्थी

खण्ड पीठ
श्री मोडूदान देथा, सदस्य
श्री पंकज नरूका, सदस्य

उपस्थितः श्री अमृतपालसिंह वकील अपीलार्थीगण
श्रीमती पूनम माथुर अति0 राजकीय अभिभाषक।

निर्णय

दिनांकः..09.10.19

यह द्वितीय अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ द्वारा अपील संख्या 53/2003 में पारित निर्णय दिनांक18.6.2004 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी अपीलार्थीगण ने एक वाद अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, नोहर के न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा भूकरका स्थित साबिक आराजी खसरा नम्बर 436 रकबा 65 बीघा 14 बिस्वा पर वादीगण के पिता लिछमण उसके तीन भाईयों के साथ सम्वत 2012 से काबिज काश्त चला आ रहा है। उक्त खसरा नम्बर 436 के नवीन खसरा नम्बर 442 रकबा 16 बीघा 18 बिस्वा कायम हुए हैं। विवादित भूमि राजस्व अभिलेख में सहवन से चांदिया के नाम दर्ज हो गई जबकि लिछमण व उसके वारिसान वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। ग्राम भूकरका उपनिवेशन अधिनियम, 1954 प्रभाव में आने पर उपनिवेशन क्षेत्र में चला गया जिससे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत खातेदारी

नहीं मिल सकी। राज्य सरकार ने दिनांक 12.1.87 को ग्राम भूकरका को आउट आफ जोन से प्रत्याहुत करने से वादीगण स्वतः खातेदार हो गये हैं। अतः वाद डिक्री किया जावे। राज्य सरकार ने जबाबदावा प्रस्तुत कर वाद का खण्डन किया। विचारण न्यायालय ने निर्णय दिनांक 20.4.92 से वादीगण का वाद खारिज कर दिया। इसके विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई जो निर्णय दिनांक 19.2.96 से स्वीकार की जाकर प्रकरण प्रति प्रेषित किया गया। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर ने निर्णय दिनांक 28.2.2003 से वादीगण का वाद पुनः खारिज कर दिया। इसके विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई जो निर्णय दिनांक 18.6.2004 से खारिज की गई। इससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने अपनी बहस में तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालयों ने तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया है। राजस्व अपील प्राधिकारी ने विवादित आराजी पर सम्वत 2012 से वादीगण अपीलार्थीगण का कब्जा स्पष्ट माना है जिससे वादीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी हैं। वादी अपीलार्थीगण का वाद हाल खसरा नम्बर 442 के बाबत है जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय ने वादीगण की गैर खातेदारी में होना माना है परन्तु खातेदारी अधिकार नहीं दिये हैं। गांव भूकरका को दिनांक 12.1.87 को राज्य सरकार ने उपनिवेशन क्षेत्र से बाहर कर दिया गया है जिससे खातेदारी अधिकार घोषित किये जा सकते हैं। मौखिक साक्ष्यों से वादीगण का लगातार कब्जा काश्त होना साबित है।

4. विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि जमाबन्दी सम्वत 2012 से 2015 में खसरा नम्बर 436 रकबा 65 बीघा 10 बिस्वा के सामने हमारा नाम अंकित है और खसरा नम्बर 462 रकबा 33 बीघा 7 बिस्वा के सामने चांदिया का नाम गलत तौर पर अंकित हो गया है किन्तु यहां विचार खसरा नम्बर 436 के रकबा 16 बीघा 18 बिस्वा पर ही होना है जो कि लिछमण के वारिसान के नाम घोषित होना है। लिछमण का नाम खीया, गणेश के साथ दर्ज है। यह भूमि हमें भाई बंट में आने से खसरा नम्बर 442 हमारे नाम अर्थात लिछमण के नाम तनहा दर्ज है। साथ ही खसरा नम्बर 330 व 339 भी दर्ज है और खसरा नम्बर 330 व 339 जरिये इंतकाल दिनांक 16.9.89 को खातेदारी मिल गई है। इसका नोट जमाबन्दी सम्वत 2042 में अंकित है। किन्तु खसरा नम्बर 442 का अंकन नहीं है जो कि गैर खातेदार अंकित किया है। यह मिलान क्षेत्रफल अनुसार पूर्व खसरा नम्बर 436 से बना है। उक्त दो खसरों में खातेदारी दे दी गई। वह सन् 1987 को कालोनी से बाहर होने के कारण सम्वत 2012 में दिनांक 15.10.55 को रेकर्ड में दर्ज

रिकार्ड होने के कारण दी गई है। खसरा नम्बर 442 में भी दी जानी चाहिये थी। रकबा धारा 16 से किस्म के अनुसार खातेदारी हेतु बाधित नहीं था। किस्म खसरा नम्बर 442 की भी खसरा नम्बर 330 व 332 के अनुरूप बारानी है। तीनों मिलाकर 43 बीघा 13 बिस्वा रकबा है। सीलिंग से बाधित नहीं है। सीलिंग का तो सवाल ही नहीं है। सीलिंग धारण पर है उसमें तो गैर खातेदारी भी नहीं रह सकती है। पर सीलिंग सीमा में होने से ही गैर खातेदारी निरन्तर बनी हुई। अतः उक्त दो खसरों की भाति इनकी भी खातेदारी दी जावे। उपनिवेशन क्षेत्र से बाहर आने पर दो खसरों में खातेदारी 1989 में देने व एक में नहीं देने पर हमने दावा कर दिया जो हमारा अधिकार था। विधि की दृष्टि से विधि के प्रवर्तन में खातेदारी प्रोदभूत हो गई थी। महज अभिलेख में दर्ज करने का आदेश दिया जाना था। भाखडा परियोजना के नियम 4 की दिनांक 15 जून 1955 की तिथि की गलत व्याख्या कर हमें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी नहीं दी जबकि सामान्य शर्त 2(च) के अनुसार अधिनियम से पूर्व किसी वर्ग के अधिकार उपनिवेशन अधिनियम लागू होने पर अनुदान है तथा शर्त संख्या 2(छ) के अनुसार गैर खातेदार अनुदान ग्रहिता है। हम टिनेन्सी एकट लागू होते समय व उपनिवेशन अधिनियम लागू होने के समय उससे पूर्व से दर्ज गैर खातेदार हैं। शर्त 9 के अनुसार समस्त अनुदान प्रारम्भ में गैर खातेदारी होगें तथा विहित राशि जमा कराने पर शर्तो की पालना करने पर खातेदारी प्राप्त करने का अधिकार है। हम भाखंडा नियम 13 अनुसार आवंटन के भी पात्र है तथा नियम 12 के अनुसार प्राथमिकता प्राप्त काश्तकार है। किन्तु उपनिवेशन अधिनियम व भाखंडा नियमों के नियम 4 के भ्रम से उस समय खातदेारी नहीं मिली। क्षेत्र उपनिवेशन क्षेत्र से बाहर आने पर दिनांक 15.10.55 में दर्ज रिकार्ड होने से विधि के प्रवर्तन में नामान्तरकरण से दो खसरों में खातेदारी दी गई है। एक खसरें में रह गई वह दी जावे। आराजी बारानी है। उपनिवेश क्षेत्र से बाहर है। अतः अपील स्वीकार की जावे।

5. विद्वान अति0 राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क दिया कि विवादित आराजी पर चांदिया पुत्र दयाला चुहड का कब्जा काश्त ढालबांछ एवं गिरदावरी के अनुसार रहा है। वादीगण व उनके पूर्वज लिछमण का कब्जा होना साबित नहीं होता है। हाल खसरा नम्बर 442 अपीलार्थीगण की गैर खातेदारी में दर्ज है। किन्तु गिरदावरी सम्वत 2008 से 2010 में काश्त चूडहा की दर्ज है। ग्राम भूकरका उपनिवेशन से बाहर किया जाना साबित नहीं कराया गया है जिससे इस प्रकार दावे के माध्यम से खातेदारी अधिकार घोषित नहीं किये जा सकते। अतः यह अपील खारिज की जावे।

6. जबाब बहस में विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने कथन किया कि तनहा गैर खातेदार दर्ज हैं। चूहडा का नाम गलत दर्ज हो गया था एवं खसरा नम्बर 436 के आगे हमारा नाम दर्ज है।

7. हमने दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रस्तुत अपील उपखण्ड अधिकारी के वाद संख्या 218/96 निर्णय दिनांक 28.2.03 जिसे राजस्व अपील प्राधिकारी के यहां अपील संख्या 53/2003 द्वारा चुनौति दी गई थी और उसके निर्णय दिनांक 18.6.2006 के विरूद्व द्वितीय अपील प्रस्तुत हुई है। वाद की क्रम संख्या 218/96 रिमाण्ड पश्चात का है। पूर्व में यह 209/90 था जिसके विरूद्व अपील संख्या 348/94 पेश होकर प्रकरण राजस्व अपील प्राधिकारी ने रिमाण्ड किया था। राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय दिनांक 19.2.96 में अपील संख्या 346/94, 347/94 जो कि वाद संख्या 108/90, 121/90 के विरूद्व थी। वर्तमान प्रकरण में एक ही वाद की प्रथम अपील होकर द्वितीय अपील हुई। ऐसी स्थिति में उसका निर्णय किया जाना अपेक्षित है। किन्तु राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय दिनांक 19.2.96 अनुसार वाद साबिक खसरा नम्बर 436 रकबा 65 बीघा 14 बिस्वा से सम्बन्धित थे और इसके हाल खसरा नम्बर 443, 319, 444 से सम्बन्धित थे। उन अन्य वादों पर रिमाण्ड पश्चात क्या कार्यवाही हुई अंकित नहीं है। भाखडा नियमों में खातेदारी प्रत्येक प्रकरण में अलग से परीक्षण कर दी जाना अपेक्षित रहती हैं। अपीलार्थीगण ने खसरा संख्या 442 के सम्बन्ध में ही वर्तमान में आदेश दिया जाना है और आज यही प्रकरण विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में इस प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थिति के दृष्टिगत इस प्रकरण के निर्णय का प्रभाव व्यक्तिबंध रहेगा सर्वबंधी नहीं रहेगा।

8. पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत 2012 से 2015 प्रदर्श पी2 में साबिक खसरा नम्बर 642 एवं 436 चान्दिया वल्द दयाला कौम चुहडा सा.देह के साथ ही खीया, गणेश, लिछमन प्रेम के नाम दर्ज है मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 436 के नवीन खसरा नम्बर 441, 442, 443, 444 बने हैं। वादीगण ने खसरा नम्बर 442 के संबंध में यह वाद प्रस्तुत किया है। जमाबन्दी सम्वत 2047 प्रदर्श पी 3 में खसरा नम्बर 330, 332 व 442 लिछमण वल्द मोमन कौम जाट की गैर खातेदारी में दर्ज हैं। उक्त राजस्व अभिलेख से यह स्पष्ट है हाल विवादित खसरा नम्बर 442 वादीगण के पूर्वज लिछमण की गैर खातेदारी में दर्ज रहा है। वादीगण का कथन है कि गांव भूकरका पूर्व में उपनिवेशन क्षेत्र में था जो दिनांक 12.1.87 को उपनिवेशन क्षेत्र से बाहर कर दिया गया है।

9. यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि पर सम्वत 2012 में वादीगण का नाम दर्ज है तथा जमाबन्दी सम्वत 2047 प्रदर्श पी 3 में वादीगण अपीलार्थीगण गैर खातेदार दर्ज हैं। राज्य सरकार की ओर से विचारण न्यायालय में प्रस्तुत जबाबदावा की मद संख्या 5 एवं 6 में यह स्वीकार किया गया है कि गांव भूकरका पूर्व में जोन में था

व उपनिवेशन अधिनियम लागू थे। अब भूकरका आउट आफ जोन हो गया है। इससे यह स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात उपनिवेशन क्षेत्र में नहीं है। किन्तु अधिसूचना दिनांक 15.2.2000 के अनुसार भूकरका गांव उपनिवेशन क्षेत्र में है। ऐसी स्थिति में उपनिवेशन क्षेत्र होने से यद्यपि अपीलार्थीगण तत्समय जब यदि क्षेत्र परियोजना से बाहर था तब खातेदारी सम्वत 2012 में गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड होने से प्राप्त कर सकते थे किन्तु निर्णय के दिवस उक्त अधिसूचना दिनांक 15.2.2000 के अनुसार क्षेत्र उपनिवेशन क्षेत्र है और उपनिवेशन क्षेत्र में आराजी का बारानी होना चाही होना अनकमाण्ड व कमाण्ड होना अमहत्वपूर्ण है। यदि आराजी उपनिवेशन क्षेत्र घोषित है तो उपनिवेशन क्षेत्र में मानी जाएगी। ऐसी स्थिति में कालोनी सामान्य शर्त संख्या 2(च), 2(छ) एवं 9 तथा भाखडा नियमों के नियम 12 व 13 के दृष्टिगत रख तथा अपीलार्थी के सम्वत 2012 से गैर खातेदार दर्ज होने को दृष्टिगत यह आदेश दिया जाता है कि उपखण्ड अधिकारी इस भूमि हेतु देय सामान्य (साधारण आवंटन) हेतु भूमिहीनों को आरक्षित दर राशि से अपीलार्थीगण को इस निर्णय के 60 दिवस में अवगत करावें और अपीलार्थीगण द्वारा 60 दिवस में राशि जमा कराने की स्थिति में सामान्य शर्त संख्या 9 के अन्तर्गत खातेदारी की सनद जारी करें। उक्तानुसार आरक्षित राशि अवगत कराकर राशि जमा कराने पर खातेदारी सनद 5 माह में अर्थात 150 दिनों के भीतर जारी करने हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया जाता है। उपरोक्तानुसार इस प्रकरण का प्रभाव व्यक्तिबंधी रहेगा।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ का निर्णय दिनांक 18.6.2004 तथा उपखण्ड अधिकारी, नोहर का निर्णय दिनांक 28.2.2003 निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, नोहर को प्रति प्रेषित किया जाकर आदेश दिया जाता है कि उक्तानुसार उपखण्ड अधिकारी इस भूमि हेतु देय आरक्षित राशि से अपीलार्थीगण को इस निर्णय के 60 दिवस में अवगत करावें और अपीलार्थीगण द्वारा 60 दिवस में राशि जमा कराने की स्थिति में सामान्य शर्त संख्या 9 के अन्तर्गत खातेदारी की सनद जारी करें। उक्तानुसार आरक्षित राशि अवगत कराकर राशि जमा कराने पर खातेदारी सनद 5 माह में अर्थात 150 दिनों के भीतर जारी करने हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया जाता है। उपरोक्तानुसार इस प्रकरण का प्रभाव व्यक्तिबंधी रहेगा।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज नरूका)
सदस्य

(मोडूदान देथा)
सदस्य